RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Appeal (Db) No. 302/2025

Raju Devi Bunkar Wife of Late Shri Uttam Kumar, Aged About 36 Years, Resident of Bharatiya New Colony, Manohapura, Tehsil Shahpura, District Jaipur (Rajasthan)

----Appellant

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Govind Son Mahadev, Resident Balai Ki Dhani Naradpura, Police Station Amer, District Jaipur

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Amrit Prasad Sharma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Rajesh Choudhary, GA-cum-AAG with
Mr. Sudesh Saini, Addl.G.A.
Mr. Aman Agarwal, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Judgment

1. Date of conclusion of arguments : 04/12/2025
2. Date on which the judgment was reserved : 04/12/2025
3. Whether the full judgment or only the operative part is pronounced : Full judgment
4. Date of pronouncement : 08/12/2025

(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)

1. अपीलार्थीया (परिवादिया) राजू देवी बुनकर द्वारा हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस के तहत विद्वान विचारण न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम ब्लास्ट कैसेज, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 03/2021 (19/2019), उनवानी प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम पप्पू वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2025 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्त गोविन्द को अपराध अंतर्गत धारा 323,

---

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

342, 302 भा.दं.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.11.2012 को ललित कुमार के द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.–11 पुलिस थाना आमेर में इस आशय की प्रस्तुत की कि आज दिनांक 03.11.2012 को समय करीब 9.00 बजे शाम को उत्तम कुमार की अधिक शराब पीने से तबियत खराब होने पर उसे नारदपुरा से शर्मा हॉस्पीटल शाहपुरा में ईलाज हेतु लेकर समय 9.30 बजे शाम को गये थे, वहां डॉक्टर ने चैक करके उसकी मृत्यु होना बताने पर उसकी लाश को अस्पताल से लेकर सी.एच.सी. अस्पताल आमेर लेकर आये हैं, उत्तम कुमार उसके बडे भाई का दामाद है, इस संबंध में कानूनी कार्यवाही करें। उक्त रिपोर्ट पर मृग रिपोर्ट संख्या 46/2012 अन्तर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. में दर्ज कर मृग कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् परिवादिया राजू देवी की ओर से दिनांक 15.11.2012 को उक्त कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.–1 थानाधिकारी पुलिस थाना आमेर को इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उसके पति शाम 7.00 बजे उसके घर आये थे, तब गोविन्द एवं उसके पीहर पक्ष के लोगों ने उनके साथ बांस की लाठी से मारपीट की, फिर उसे गाडी में डालकर ले गये....., जिसे उक्त मृग कार्यवाही नम्बर 46/2012 में शामिल पत्रावली करने के निर्देश दिये गये, उसके पश्चात् अपीलार्थिया (परिवादिया) द्वारा पुनः एक परिवाद प्रदर्श पी.–2 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं.–1, जयपुर महानगर में प्रस्तुत किया, जो धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना आमेर को प्रेषित किये जाने पर पुलिस थाना आमेर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490 दिनांक 03.12.2012 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 342, 384 व 120बी भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2019 को पप्पू, धर्मेन्द्र, रामसहाय, मनभर, ललित व गोविन्द के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 342, 302/149 भा.दं.सं. में

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होने से उसे उपांतरित किये जाने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात् विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर ब्लास्ट कैसेज, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा दिनांक 01.09.2021 को बहस चार्ज सुनी जाकर पप्पू, धर्मेन्द्र, रामसहाय, मनभर देवी, ललित को अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 342, 302, 149 भा.दं.सं. से उन्मोचित किया गया एवं प्रत्यर्थी–अभियुक्त गोविन्द के विरूद्ध धारा 323, 302, 342 भा.दं.सं. के आरोप विरचित करने के आदेश दिये जाकर आरोप विरचित किये गये। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 लगायत पी.डब्ल्यू.–27 के बयान लेखबद्ध करवाये एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–19 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् प्रत्यर्थी–अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी–अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना और झूंठा फंसाए जाने का कथन किया तथा कथन किया कि उत्तम कुमार शराब पीता था, अत्यधिक शराब सेवन से उसकी मृत्यु हो गई तथा साक्ष्य सफाई में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी.–1 लगायत डी.–17 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

4. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुना जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 24.04.2025 द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्त गोविन्द को धारा 323, 342, 302 भा.दं.सं. के आरोपों में दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया (परिवादिया) के द्वारा हस्तगत अपील प्रत्यर्थी–अभियुक्त गोविन्द को दोषसिद्ध कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

5. बहस ग्रहणार्थ सुनी जाकर पत्रावली का मय अभिलेख सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया (परिवादिया) का कथन है कि प्रस्तुत मामले में परिवादिया एवं अन्य प्रस्तुत गवाहान के कथनों से

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

प्रत्यर्थी–अभियुक्त द्वारा उत्तम कुमार के साथ मारपीट करने एवं उक्त मारपीट में आयी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होने की पूर्ण रूप से पुष्टि हुई है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का सुक्ष्मता एवं गहनता से विवेचन किए बिना आलौच्य आदेश दिनांक 24.04.2025 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है, अतः अपील ग्रहणार्थ स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी–अभियुक्त गोविन्द को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

7. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

8. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का यह केस रहा है कि दिनांक 03.11.2012 को सायं 7.00 बजे ढाणी नारदपुरा में प्रत्यर्थी–अभियुक्त ने उत्तम कुमार का सदोष अवरोध कर, उसके साथ लाठी से मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई?

9. हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त अभियोजन कहानी के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य पर यदि विचार करें तो प्रकरण में घटना दिनांक 03.11.2012 को रात्रि 10.40 पी.एम. पर ललित कुमार शर्मा द्वारा प्रदर्श पी.–11 रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है, जिसमें उसने मृतक द्वारा अधिक शराब पीने से, उसकी तबियत खराब होने से उसे अस्पताल लेकर आना अंकित किया है, उसमें मृतक के साथ मारपीट होने संबंधी कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है, यद्यपि गवाह पी.ड.–1 राजू देवी जो कि मृतक की पत्नी है, उसने न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में दिनांक 03.11.2012 को शाम 7.00–7.30 बजे उसके पति का पीहर में आना एवं बाहर की बैठक के कमरे में बैठा होना एवं उस समय उसका उसकी बुआ की लडकी व बहन के साथ छत पर होना, फिर उसके चाचा गोविन्द द्वारा उसके पति के साथ बांस की लकडी से मारपीट करना, उसके नीचे आने पर उसके पति के चोट लगी देखना, फिर उसके पति को घसीट कर बाहर बैठक के कमरे में ले जाना कथन किया गया है, जिससे उसके स्वयं उक्त कथनों से उसका घटना के समय बुआ की लडकी एवं बहन के साथ छत पर होकर नीचे आने पर चोट लगी

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

देखना प्रकट होने से, उसका घटना का चश्मदीद साक्षी ना होना प्रकट होता है, प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह के उक्त सभी कथनों की पुष्टि उसकी बुआ की लडकी एवं बहन के न्यायालय में परीक्षित नहीं होने से भी नहीं हो पायी है। प्रकरण में नक्शा प्रदर्श डी.–5 में भी उक्त गवाह द्वारा जिस स्थान पर खडे होकर घटना देखी गई थी, उसे दर्शित नहीं किया गया है, इस संदर्भ में गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार भी किया है कि नक्शा प्रदर्श डी.–5 उसकी उपस्थिति में बनाया था, वह झगडे के समय मकान में किस स्थान पर खडी थी उसका उल्लेख नक्शे में नहीं है, जिससे नक्शा प्रदर्श डी.–5 से भी उसके घटना देखने बाबत् कथनों की पुष्टि नहीं हो पायी है।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

10. गवाह पी.ड.–1 राजू देवी द्वारा यद्यपि अपने बयानों में 30–35 बार लाठियों से मारने से उसके पति के शरीर पर नीलगू के निशान पडना कथन किया गया है, किन्तु प्रकरण में उसके उक्त कथन की पुष्टि भी गवाह पी.ड.–5 डॉक्टर दिनेश चन्द मीणा के बयानों से नहीं हो पायी है, क्योंकि उसने अपने बयानों में मृतक के शरीर पर मात्र दो चोटे होना एवं उनमें से चोट संख्या–1 नीलगू 3X3 सेन्टीमीटर बायीं कनपटी के हिस्से पर एवं दूसरी चोट खरोंच 1X1 सेन्टीमीटर बायीं कोहनी पर होना कथन किया है, पंचायतनामा प्रदर्श पी.–4 में भी मृतक के शरीर पर नीलगू के निशान होना, अंकित नहीं है, उसमें मात्र रगडक व खरोंच के निशान होना अंकित है, प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.–9 आर.सी. शर्मा ने अपने बयान में मृतक के शरीर में इथाईल एल्कोहल की उपस्थिति होना एवं एल्कोहल से मृत्यु सम्भावित होना कथन किया है एवं गवाह पी.ड.–11 डॉ. आर.के. वर्मा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में, प्रदर्श डी.–8 में डॉ. डी.सी. मीणा द्वारा अपनी राय में मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया जाना एवं मृत्यु कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट (Cardio pulmonary arrest) से भी हो सकना लिखना स्वीकार किया है, जिससे भी मृतक की मृत्यु मारपीट से आयी चोटों से होने की बात हस्तगत प्रकरण में युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होने से, परिवादिया राजू देवी के कथनों की सम्पुष्टि नहीं हो पाई है।

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

11. प्रकरण में गवाह पी.ड.–7 मनोज कुमार बंगाली, पी.ड.–8 दीपक कुमार बंगाली, पी.ड.–14 सोनू पारासर एवं पी.ड.–15 पूर्णानन्द शर्मा ने यद्यपि अपने–अपने बयानों में मृतक की लाश को नहलाते वक्त उसके गुप्तांगों पर सूजन/चोटें देखना कथन किया गया है, किन्तु इस संदर्भ में यदि पंचायतनामा प्रदर्श पी.–4 का अवलोकन करें तो उक्त पंचायतनामा अन्य गवाहों के साथ–साथ गवाह पी.ड.–7 मनोज बंगाली की उपस्थिति में बनाया गया है, उसमें मृतक के गुप्तांग पर कोई चोट आने बाबत् उल्लेख नहीं है, गवाह पी.ड.–1 राजू देवी ने अपने बयानों में उनके गांव में मृत व्यक्ति के कपडे नहीं उतारे जाना स्वीकार किया है, जिससे मृतक को नहलाते वक्त उसके गुप्तांग पर सूजन होने बाबत् अभियोजन कहानी भी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाई है।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

12. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.–16 किरन कुमारी, पी.ड.–17 मनोज देवी, पी.ड.–18 सुनिता, पी.ड.–21 किरण जो कि परिवादिया के साथ पुलिस सहकर्मी है, उन्होंने अपने–अपने बयानों में उनका तीये की बैठक में जाने पर बैठक के दौरान, अपीलार्थिया राजू देवी द्वारा उन्हें घटना बाबत् कुछ भी नहीं बताना एवं उनके द्वारा उसकी मॉ से पूछने पर उन्हें भी उत्तम कुमार की मृत्यु कैसे हुई पता नहीं होना कथन किया गया है। हमारी विनम्र राय में परिवादिया जो कि स्वयं एक पुलिसकर्मी है, यदि उसके पति के साथ वास्तव में मारपीट की कोई घटना घटित हुई होती तो उसके द्वारा ना केवल इस संदर्भ में तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई होती, बल्कि पुलिस सहकर्मियों के तीये की बैठक में आने पर, उन्हें भी घटना के संदर्भ में सूचित किया गया होता एवं उसके द्वारा घटना के 12 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी जाती।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Babu Sahebagouda Rudragoudar Vs. State of Karnataka reported in [(2024) 8 SCC 149]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि**:-**

> "38. Further, in H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581 this Court summarised the principles governing the exercise of appellate jurisdiction while dealing with an

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

appeal against acquittal under Section 378 Cr.PC as follows:

> "8. xxx xxx xxx
>
> 8.1. The acquittal of the accused further strengthens the presumption of innocence;
>
> 8.2. The appellate court, while hearing an appeal against acquittal, is entitled to re-appreciate the oral and documentary evidence;
>
> 8.3. The appellate court, while deciding an appeal against acquittal, after re-appreciating the evidence, is required to consider whether the view taken by the trial court is a possible view which could have been taken on the basis of the evidence on record;
>
> 8.4. If the view taken is a possible view, the appellate court cannot overturn the order of acquittal on the ground that another view was also possible; and
>
> 8.5. The appellate court can interfere with the order of acquittal only if it comes to a finding that the only conclusion which can be recorded on the basis of the evidence on record was that the guilt of the accused was proved beyond a reasonable doubt and no other conclusion was possible."

39. Thus, it is beyond the pale of doubt that the scope of interference by an appellate court for reversing the judgment of acquittal recorded by the trial court in favour of the accused has to be exercised within the four corners of the following principles:

> (a) That the judgment of acquittal suffers from patent perversity;
>
> (b) That the same is based on a misreading/omission to consider material evidence on record; and
>
> (c) That no two reasonable views are possible and only the view consistent with the guilt of the accused is possible from the evidence available on record."

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

14. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.04.2025 में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं वह पुष्टि किये जाने योग्य है एवं अपील, अपीलार्थीया (परिवादिया) खारिज किए जाने योग्य है।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

15. परिणामतः अपीलार्थीया (परिवादिया) के द्वारा प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम ब्लास्ट कैसेज, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 03/2021(19/2019), उनवानी प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम पप्पू वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2025 की पुष्टि की जाती है।

16. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

(BHUWAN GOYAL),J **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

AKSHAY KUMAR PAREEK/228

(Uploaded on 09/12/2025 at 05:56:20 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:18:06 AM)